हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय
Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University
श्रीनगर गढ़वाल (उत्तराखण्ड)–246174
Srinagar Garhwal (Uttarakhand) - 246174
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University)

पत्रांक : हे॰न॰ब॰ग॰वि॰वि॰ / आर॰ओ॰ / 2021 / 229 दिनांक : 08 / 09 / 2021

कार्यालय आदेश (229 / 2021)

आज दिनांक 07.09.2021 को विश्वविद्यालय के समस्त संकायाध्यक्षों एवं अधिकारियों के साथ सम्पन्न हुई बैठक के निर्णय के अनुपालन में पी0एच0डी0 के शोध छात्रों के लिए दिनांक 15.09.2021 से कोविड एस॰ओ॰पी॰ के अनुसार विश्वविद्यालय के तीनों परिसर शोध छात्रों के अध्ययन हेतु खोले जायेंगे। उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जारी एस॰ओ॰पी॰ के अनुसार निम्नलिखित व्यवस्थायें प्रभावी होंगीः–

1. कोरोना संक्रमण की रोकथाम के उद्‌देश्य से विश्वविद्यालय के सभी शोध छात्रों को दोनो वैक्सीन लगाये जाने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
2. विश्वविद्यालय के ऐसे शोध छात्र जो कि राज्य के बाहर से श्रीनगर मुख्यालय आयेंगे, उन्हें उत्तराखण्ड सरकार की स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के एवं दोनो वैक्सीन लगाये जाने के प्रमाण पत्रों के उन्हे छात्रावास / परिसर में आने की अनुमति नहीं दी जायेगी। विभागाध्यक्ष व सभी फैकल्टी सदस्य यह सुनिश्चित करेंगे कि विभागीय कार्यों में अधिक भीड़भाड़ न हो। परिसर व विभागों में सामाजिक दूरी व मास्क मैनडेट का पालन शत प्रतिशत किया जायेगा।
3. स्वच्छता प्रभारी शोध छात्रों के अध्ययन कक्ष, पुस्तकालय, रहने के कमरे, बाथरूम एवं भोजनालयों को प्रत्येक कार्य दिवस पर सफाई एवं सेनिटाईजेशन कराना सुनिश्चित करेंगे।
4. विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालय शोध छात्रो के अध्ययन के लिये कोविड एस॰ओ॰पी॰ का पालन करते हुए खुले रहेंगे।
5. पुस्तकालयाध्यक्ष को यह सुनिश्चित करना पडेगा कि पुस्तकालय में एक समय में 15 से अधिक शोध छात्र अध्ययनरत न हो तथा सभी शाधार्थियों ने मास्क पहना हो व हेण्ड सेन्टाइजर उपलब्ध रहेंगे।
6. समस्त परिसर निदेशक, संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, अधिष्ठाता छात्र कल्याण, नियंता, मुख्य छात्रावास अधीक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी छात्रों द्वारा MHA, MoH&FW, GOI and State Government द्वारा जारी SOPs का अनुपालन किया जा रहा है।
7. विश्वविद्यालय के सभी कार्यालय प्रातः 10:00 बजे से सांय 05:00 बजे तक कोविड–19 एस॰ओ॰पी॰ का पालन करते हुए खुले रहेंगे।
8. इस हेतु सभी कर्मचारियों द्वारा MHA, MoH&FW, GOI and State Government द्वारा जारी SOPs का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

उक्त आदेश अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगा व सक्षम अधिकारी की अनुमति से जारी किया जा रहा है।

कृते कुलसचिव 8/9/21

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त संकायाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष।
2. अधिष्ठाता छात्र कल्याण / नियंता / मुख्य छात्रावास अधीक्षक / पुस्तकालयाध्यक्ष।
3. परिसर निदेशक (टिहरी / पौड़ी / चौरास) / निदेशक आई॰क्यू॰ए॰सी॰।
4. वित्त अधिकारी / परीक्षा नियंत्रक / संयुक्त कुलसचिव / समस्त उप कुलसचिव / सहायक कुलसचिव / अधिशासी अभियन्ता / समस्त सहायक अभियन्ता / प्रभारी उप कार्यालय देहरादून।
5. प्रभारी सिस्टम मैनेजर को उक्त सूचना वैब साईट पर अपलोड करने हेतु।
6. सोशल मीडिया चैंपियन / जन सम्पर्क अधिकारी।
7. कोर्डिनेटर डाटा प्रोसेसिंग सेन्टर / सुरक्षा अधिकारी / समस्त अनुभाग अधिकारी / प्रभारी।
8. प्रभारी सफाई व्यवस्था।
9. निजी सचिव, कुलपति, मा॰ कुलपति महोदया के सादर सूचनार्थ।

कृते कुलसचिव